

मेरठ विकास प्राधिकरण, की योजनाओं में "जैसा है, जहाँ है" के आधार पर निविदा-सह-नीलामी पद्धति से आवासीय सम्पत्तियाँ प्राप्त करने का स्वर्णिम अवसर		
योजना का नाम	निविदा का दिनांक व समय	नीलामी का दिनांक व समय
डिफेन्स एन्क्लेव व शताब्दीनगर	23-11-2015 को 11बजे से 2बजे तक	23-11-2015 को 2.30बजे से
देय धनराशि का भुगतान, बैंकर्स चैक/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से करने की दशा में धनराशि का प्राधिकरण के खाते में अन्तरण की तिथि को आधार माना जायेगा। निविदा-नीलामी हेतु स्थान : विकास प्राधिकरण कार्यालय का समागार।		
विवरण पुस्तिकाएँ, आवेदन पत्र सहित प्राधिकरण की वेबसाईट (www.mdameerut.org.in) पर उपलब्ध हैं। विवरण पुस्तिका, निविदा-नीलामी में आवासीय सम्पत्तियों हेतु उपयोग में लाने पर रुपये 500/- प्रति विवरण पुस्तिका का ड्राफ्ट तथा गैर आवासीय सम्पत्ति हेतु विवरण पुस्तिका उपयोग में लाने पर रुपये 1,000/- प्रति विवरण पुस्तिका का ड्राफ्ट पृथक से देय होगा।		
डिफेन्स एन्क्लेव, पॉकेट ए, KIOSK प्रयोग हेतु मूखण्ड क्षेत्रफल 60.83 वर्ग मीटर, दर 27200/- धरोहर राशि रुपये 165458/-		
शताब्दी नगर, सेक्टर 1, पॉकेट सी, आवासीय, मूखण्ड सं० सी-239, क्षेत्रफल 50 वर्ग मीटर, दर 10600 धरोहर राशि रुपये 53000/-		
डिफेन्स एन्क्लेव, पॉकेट ए, आवासीय, मूखण्ड सं० ए-239, क्षेत्रफल 247.39 वर्ग मीटर, दर 13800 धरोहर राशि रुपये 336500/-		
शताब्दीनगर, सेक्टर 1, पॉकेट बी, आवासीय, भवन सं० बी-246, क्षेत्रफल 175 वर्ग मीटर, कीमत रुपये 3350209 धरोहर राशि रुपये 335021/- व सेक्टर 1, पॉकेट ए, आवासीय, भवन सं० ए-324 व 325, क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर, कीमत रुपये 1272784 प्रत्येक व धरोहर राशि रुपये 127279/- प्रत्येक		
निविदा-नीलामी में भाग लेने हेतु आवश्यक विवरण-		
(1) विज्ञापन शुदा बची हुई आवासीय सम्पत्तियों की निविदा/नीलामी प्रत्येक बुद्धवार (कार्य दिवस) में तथा गैर आवासीय सम्पत्ति प्रत्येक मंगलवार (कार्य दिवस) में होगी। (2) आवेदनकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि स्थल/सम्पत्ति का निरीक्षण एवं नीलामी से सम्बन्धित किसी भी प्रक्रिया की जानकारी (जो कि नीलामी ब्रोशर एवं वेबसाईट पर उपलब्ध है) नीलामी शुरू होने से पूर्व अवश्य कर लें। नीलामी के पश्चात किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा। (3) उपाध्यक्ष/नीलामी समिति के अध्यक्ष जनहित/प्राधिकरण हित में किसी भी एक अथवा सभी भूखण्डों की नीलामी स्थगित कर सकते हैं। नीलामी में भाग लेने वाले आवेदकों को निर्धारित धनराशि का बैंक ड्राफ्ट नीलामी आवेदन पत्र के साथ मूल रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। (4) निविदा-सह-नीलामी के माध्यम से आवासीय सम्पत्ति प्राप्त करने के इच्छुक केवल वे आवेदक भाग ले सकते हैं, जिनके परिवार के पक्ष में प्राधिकरण की योजना में पहले से कोई आवासीय सम्पत्ति आवंटित न हो।		
प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति।	सुनियोजित विकास प्राधिकरण के साथ	उपाध्यक्ष।